उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2014

अध्याय-8

अपराध एवं शास्तियां

51- सहकारी समिति की निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक जैसी भी स्थिति हो के द्वारा अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (4) एवं नियम 4 के अधीन निर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना न दिये जाने अथवा निर्वाचन क्षेत्रों के अवधारण हेतु जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा आयोग अथवा उसके प्राधिकृत अधिकारी को अर्पेिक्षत समस्त सूचनाएं न दिये जाने पर, आयोग द्वारा प्रारम्भिक सहकारी समिति की स्थिति में सम्बन्धित सचिव या प्रबन्ध निदेशक, जैसी भी स्थिति हो के विरूद्ध रू0 पांच हजार तक का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है तथा जिला/केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय/शीर्ष सहकारी समिति की स्थिति में सम्बन्धित सचिव या प्रबन्ध निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, के विरूद्ध रू0 दस हजार तक का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है और अर्थदण्ड लगाये जाने सम्बन्धित आदेश सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी की चरित्र पंजिका में अंकित करते हुए चस्पा की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि अर्थदण्ड लगाये जाने के पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने का युक्तिसंगत एक अवसर आयोग द्वारा प्रदान किया जायेगा।

52- जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोग को निर्धारित समयावधि के भीतर जनपद की ऐसी सहकारी समितियों जिनकी प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल आगामी 4 मास में समाप्त हो रहा है, की सूचना न दिये जाने अथवा आयोग द्वारा किसी समिति या समितियों के किसी वर्ग या वर्गों की सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु दिनांक नियत् किये जाने पर निर्धारित समयावधि के भीतर क्षेत्र अवधारण की कार्रवाई न किये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध आयोग द्वारा रू0 पांच हजार तक का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है और अर्थदण्ड लगाये जाने सम्बन्धित आदेश सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में अंकित करते हुए चस्पा की जायेगीः

प्रतिबन्ध यह है कि, अन्य विभाग से सम्बन्धित सहकारी समितियों के निर्वाचन से सम्बन्धित अपेक्षित सूचना एंव अभिलेख जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी को सम्बन्धित विभाग के जनपद स्तरीय अथवा अपने विभाग की सहकारी समितियों को पंजीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा यथासमय उपलब्ध न कराए जाने पर सम्बन्धित अधिकारी रू0 पाॅच हजार के अर्थ दण्ड का दायी होगा और अर्थदण्ड लगाये जाने सम्बन्धी आदेश सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में अंकित करते हुए चस्पा की जायेगीः

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि अर्थदण्ड लगाये जाने के पूर्व सम्बन्धित अधिकारी को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने का युक्तिसंगत एक अवसर आयोग द्वारा प्रदान किया जायेगाः

अग्रतर यह भी प्रतिबन्ध है कि अर्थदण्ड लगाये जाने के पश्चात् भी यदि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों में लगातार चूक की जाती है तो ऐसे अधिकारी के विरूद्ध आयोग द्वारा सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को

अनुशासनात्मक कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा की जा सकती है और नियुक्ति प्राधिकारी के लिए आयोग की अनुशंसा पर कार्रवाई किया जाना बाध्यकारी होगा।

53- जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी तथा अन्य नियुक्त अधिकारियों द्वारा अपरिहार्य कारणों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन न किया जाना अपराध समझा जायेगा, जिसके दोष सिद्ध होने पर जुर्माने के रूप में जो रू0 दो हजार तक का हो सकता है, या कारावास से जो छः मास तक हो सकता है अथवा दोनों दण्ड से दण्डनीय होगा।

54- नियम-41 के उल्लंघन में किया गया कोई कृत्य या दी गयी या प्रकट की गयी सूचना को अपराध समझा जायेगा और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों, जिनके विरूद्ध ऐसा अपराध सिद्ध हो जाय, कारावास से, जो छः मास तक हो सकता है, या जुर्माने से जो रू0 दो हजार तक हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

55- नियम-42 के उल्लंघन में किये गये किसी कृत्य के सिद्ध पाये जाने पर आयोग सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध न्यूनतम रू0 दो हजार और अधिकतम रू0 दस हजार का अर्थदण्ड अथवा उसकी चरित्र पंजिका में इस आशय की प्रतिकूल प्रविष्टि किये जाने की अनुशंसा कर सकता है।

56- किसी सहकारी समिति का निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा कपटपूर्ण ढंग से कोई तथ्य प्रस्तुत किये जाने, निर्वाचन सम्बन्धी किसी अभिलेख को विकृत करने या उसमें परिवर्तन करने या उसको नष्ट करता है अथवा ऐसा किये जाने के लिए किसी को अभिप्रेरित करता है, ऐसा कृत्य अपराध समझा जायेगा और दोष सिद्ध होने पर दो वर्ष से अनधिक के कारावास या रू0 पांच हजार के अर्थदण्ड या दोनों से दण्डनीय होगा।

57- इन नियमों में उल्लिखित किसी अपराध के किये जाने पर, सम्बन्धित व्यक्ति विशेष के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा करायी जायेगी।

58- सहकारी समिति के निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि समिति के निर्वाचन कराये जाने में उम्मीदवारों अथवा किसी अन्य मद में प्राप्त धनराशि आयोग द्वारा नियत् कोष अथवा नियत् प्राधिकारी को निर्वाचन समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर हस्तगत करेगा और ऐसा न किये जाने पर आयोग द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा अथवा जुर्माना जो रू0 पांच हजार तक हो सकता है, का अर्थदण्ड अथवा दोनों कर सकता है।

59- यदि आयोग की राय में, किसी उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण अथवा जानबूझकर कोई कपटपूर्ण कृत्य अथवा कूटरचित अभिलेख के आधार पर निर्वाचन में भाग लिया गया है, जिसके प्रभाव से उसकी उम्मीदवारी एवं उसके परिणाम पर सारवान् प्रभाव पड़ा है तो आयोग ऐसे व्यक्ति विशेष/निर्वाचित सदस्य को

अनर्ह घोषित कर सकता है तथा भविष्य में निर्वाचन में भाग लेने हेतु कम से कम 3 वर्ष एवं अधिकतम 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।

60- क- यदि कोई व्यक्ति, आयोग द्वारा उस पर आरोपित अर्थदण्ड को विर्निदिष्ट अवधि के भीतर जमा करने में विफल रहता है तो सम्बन्धित नियुक्त प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि उक्त धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से कटौती कर आयोग द्वारा निर्दिष्ट खाते में जमा कर आयोग को संसूचित करेगा।

अन्य व्यक्ति की दशा में जुर्माने की धनराशि भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी।

ख- उक्त कर्तव्यों का अनुपालन न किये जाने पर आयोग, राज्य सरकार को सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा कर सकता है।